न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 403/2017

वादी :– हेमाराम पुत्र श्री गणेशराम, जाति मेघवाल, निवासी डोटोलाई तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रियांबड़ी वर्तमान तहसील मेड़ता
2. पटवारी हल्का, धांधलास उदा।

दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्त अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 18/12/19

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी श्री अर्जुन पुरी ने दावा रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम डोटोलाई की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 31/1 रकबा 04 बीघा 03 बिश्वा समन्दरसिंह पुत्र श्री फेफसिंह, जाति राजपूत, निवासी डोटोलाई की खातेदारी का काश्त व कब्जासुद था। उक्त खसरा नम्बर 31/1 रकबा 04 बीघा 03 बिश्वा में से रकबा 01 बीघा भूमि उक्त समन्दरसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 11.08.1997 को वादी को बेचान करके वादी का कब्जा सुपुर्द करा दिया। बेचाननामा व कब्जा, काश्त के आधार पर वादी के हक में नामान्तरकरण संख्या 196 स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में खसरा नम्बर 31/1 मीन रकबा 01 बीघा की खातेदारी वादी के

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

नाम दर्ज की गई। बेचाननामा व जमाबंदी की नकल साथ में पेश है। अभी वर्तमान सेटलमेंट में पुराना खसरा नम्बर 31/1 मीन रकबा 11 बिश्वा के नये खसरा नम्बर 58 रकबा 0.16 हैक्टेयर कायम किये गये। मगर सम्वत् 2070 से 2073 की खतौनी में नामान्तरकरण संख्या 196 का इन्द्राज नही कर खातेदारी पुनः समन्दरसिंह के नाम दर्ज कर दी, जो महज एक लिपिकीय भूल है, जिसे दुरूस्ती की जाना आवश्यक है। जिस हेतु वादी यह वाद पेश करता है। वादी ने अभी एक माह पूर्व प्रतिवादीगण से राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दुरूस्त करने का निवेदन किया व उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया तो प्रतिवादीगण ने उक्त संशोधन करने से इंकार कर दिया। जिससे वादी को न्यायालय की शरण में आना जरूरी हुआ। अतः दावा हाजा पेश है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 6 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. प्रार्थी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा डोटोलाई की जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073, खाता संख्या 190, जमाबंदी सम्वत् 2052 से 2055, खाता संख्या 142, मिलान क्षेत्रफल, बेचाननामा दिनांक 15.09.1997 की प्रतियां पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जिस पर तहसीलदार(भू.अ.) मेड़ता ने पटवारी हल्का धांधलास उदा एवं आई.एल.आर. रेण की मूल रिपोर्ट मय अभिशंषा पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2019/2715 दिनांक 15.03.2019 भिजवायी है, जिसमें लिखा है कि ग्राम डोटोलाई की जमाबंदी सम्वत् 2052 से 2055 में खाता संख्या 142 में खसरा नम्बर 31/1 रकबा 4.3 बीघा की खातेदारी समुन्द्रसिंह पुत्र श्री फेफसिंह कौम राजपूत, सा. देह दर्ज है, उक्त खसरे में से 01 बीघा हेमाराम पुत्र श्री गणेशराम, कौम मेघवाल सा. देह को बेचान करने पर नामान्तरकरण संख्या 196 का अमल दरामद दर्ज है। जिसका पुराना खसरा नम्बर 31/1 मीन का

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

नया खसरा नम्बर 58 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 में खाता संख्या 190 में खसरा नम्बर 58 रकबा 0.16 हैक्टेयर की खातेदारी समुन्द्रसिंह पुत्र श्री फेंफसिंह कौम राजपूत, सा. देह खातेदार रहन एस.बी.बी.जे. शाखा रियांबड़ी दर्ज है जबकि उक्त खसरे की खातेदारी हेमाराम पुत्र श्री गणेशराम, कौम मेघवाल सा. देह के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। अतः खसरा नम्बर 58 रकबा 0.16 हैक्टेयर की खातेदारी हेमाराम पुत्र श्री गणेशराम, कौम मेघवाल सा.देह के नाम दर्ज होनी उचित है। यह खसरा वर्तमान में रहन एस. बी.बी.जे. शाखा रियांबड़ी के नाम दर्ज है। रहन मुक्त होने पर ही उक्त प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज की जानी उचित है।

4. विद्वान वकील वादी की बहस सुनी गई। जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्नगत भूमि वादी की खरीदसुदा खातेदारी भूमि है, जिसका नामान्तरकरण संख्या 196 द्वारा अमल दरामद जमाबंदी सम्वत् 2052 से 2055 में किया हुआ है, मगर सेटलमेंट में पूर्व खातेदार के नाम पुनः खातेदारी दर्ज कर दी है। जिसे दुरूस्त कर वादी के नाम अंकित की जावें। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मेड़ता की अभिशंषा रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2019/2715 दिनांक 15.03.2019 से होती है। अतः माफिक तहसीलदार मेड़ता की अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर रेकर्ड शुद्धि की जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार मेड़ता ने अपनी अभिशंषा रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2019/2715 दिनांक 15.03.2019 द्वारा वादी के वाद के पुष्टि होने से माफिक तहसीलदार की उपरोक्त अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद प्रमाणित होने से निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

6. ग्राम डोटोलाई के खसरा नम्बर 58 रकबा 0.16 हैक्टेयर की खातेदारी वादी हेमाराम पुत्र श्री गणेशराम, कौम मेघवाल, सा. देह के नाम दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार भू.अ. मेड़ता की अभिशंषा रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./शुद्धि /2019/2715 दिनांक 15.03.2019 निर्णय का भाग होगी।

7. डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश अथवा अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो, भूमि रहन नही हो तथा रकबा में कोई परिवर्तन नही तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/12/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

के.आर. चौहान

(उपखण्ड अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2020.02.04 13:18:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: